DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

14 अप्रैल 2023

रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड

सन्दर्भ:

- 2023 में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड (जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है) की 104वीं बरसी है।

रोलेट एक्ट

- रोलेट एक्ट (जिसे काला अधिनियम भी कहा जाता है) 10 मार्च, 1919 को पारित किया गया था।
- इसने सरकार को बिना किसी मुकदमे के, देशद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कैद करने के लिए अधिकृत किया।
- इस अधिनियम से देश भर में अशांति फैल गई।

प्रभाव :

- इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार दिया।
- इस अधिनियम ने लोगों के बोलने के कानूनी अधिकार को छीन लिया और बंदी प्रत्यक्षीकरण के संवैधानिक अधिकार को निलंबित कर दिया।
- रोलेट प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपातकालीन कानून के विस्तार के रूप में कार्य करता है।
- इस अधिनियम का अर्थ स्वतंत्र प्रेस पर प्रतिबंध और पुलिस को बिना किसी वारंट के सार्वजनिक और निजी स्थानों की तलाशी लेने का अनुचित अधिकार देता था। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध भी था।
- महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह (शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन) शुरू किया।
- भारत के विभिन्न भागों में हिंसक आंदोलन और दंगे भड़क उठे।
- जब विरोध हिंसक हो गया, तो सत्य पाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे कई प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- मार्शल लॉ के अनुसार पंजाब प्रांत में 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी।

जलियांवाला बाग नरसंहार

- जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था जब मार्शल लॉ से अनजान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक बड़े समूह ने पार्क में इकट्ठा होने का फैसला किया था।
- भारत में कांग्रेस नेताओं की गलत गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन किया गया था।
- जनरल डायर ने अपने सैनिको को बिना किसी चेतावनी के सभी प्रवेश द्वारों को बंद करने और शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया।
- इस नरसंहार ने 400 नागरिकों की जान ली और 1200 को घायल कर दिया।
- अमृतसर में नरसंहार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन की निष्पक्षता में विश्वास खो दिया था।

इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

	किया गया और जनरल डायर की कार्रवाई की निंदा की गई।

Reits और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) इंडेक्स

सन्दर्भ:

- हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की सहायक कंपनी, NSE Indices Ltd ने भारत का पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Reits) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) इंडेक्स लॉन्च किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- नये सूचकांक (निफ्टी रीट्स और इनविट्स इंडेक्स) का उद्देश्य उन रीट्स और इनविट्स के प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो एनएसई पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार करते हैं।
- इस सूचकांक में प्रतिभूतियों का भार उनके फ्री-फ्लोट बाजार पूंजीकरण पर आधारित होता है, जो प्रत्येक 33% की सुरक्षा सीमा के अधीन होता है और शीर्ष-3 प्रतिभूतियों का कुल भार 72% पर सीमित होता है।
- निफ्टी रीट्स और इनविट्स इंडेक्स की आधार तिथि 1 जुलाई 2019 और आधार मूल्य 1,000 है। सूचकांक की समीक्षा की जाएगी और त्रैमासिक आधार पर पुन: संतुलित किया जाएगा।

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स)

- भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 2007 में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी।
- पहला आरईआईटी 1965 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ था।
- आरईआईटी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी संस्था को संदर्भित करता है जो निवेश योग्य
- आरईआईटी म्युचुअल फंड की तर्ज पर तैयार किए गए हैं और निवेशकों को रियल एस्टेट में हिस्सेदारी पाने के लिए एक अत्यंत तरल तरीका प्रदान करते हैं।
- किसी भी अन्य सुरक्षा की तरह, आरईआईटी स्टॉक एक्सचेंज में खुद को सूचीबद्ध कर सकते हैं।
- मुख्य रूप से दो प्रकार के आरईआईटी हैं - इक्विटी और बंधक।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी):

- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) इंफ्रास्ट्रक्चर में संभावित व्यक्तिगत/संस्थागत निवेशकों से आय का एक छोटा सा हिस्सा रिटर्न के रूप में अर्जित करने के लिए धन की छोटी राशि के सीधे निवेश को सक्षम बनाता है।
- InvITs सुविधाओं में म्युचुअल फंड या रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (REITs) की तरह काम करते हैं।
- InvITs को REITs के संशोधित संस्करण के रूप में माना जा सकता है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है।
- सेबी ने 26 सितंबर, 2014 को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 को अधिसूचित किया, जो भारत में इनविट्स के पंजीकरण और

धन को आय-उत्पादक अचल संपत्ति के संचालन, स्वामित्व या वित्तपोषण में लाने के एकमात्र उद्देश्य से बनाई गई है।	विनियमन के लिए प्रदान करता है। InvITs को एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जा सकता है और सेबी के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। एक InvIT में चार तत्व होते हैं: 1) ट्रस्टी, 2) प्रायोजक, 3) निवेश प्रबंधक और 4) परियोजना प्रबंधक।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

सन्दर्भ:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में "निवारक निरोध" कानून एक औपनिवेशिक विरासत है जिसका राज्य द्वारा दुर्व्यवहार और दुरुपयोग किए जाने की काफी संभावना है और अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के अनुपालन में किसी भी छोटी सी त्रुटि का परिणाम हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पक्ष में होना चाहिए।

मुख्य विशेषताएं:

- निवारक निरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना है ताकि उस व्यक्ति को किसी भी संभावित अपराध पर टिप्पणी करने से रोका जा सके।
- दूसरे शब्दों में, निवारक निरोध प्रशासन द्वारा इस संदेह के आधार पर की गई कार्रवाई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं जो राज्य के लिए प्रतिकूल होंगे।
- नज़रबंदी 2 प्रकार की होती है:
  - निवारक हिरासत
  - दंडात्मक हिरासत

संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के लिए पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 22(2) :

अनुच्छेद 22 (5) :

- इसमें कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है (आदेश के अनुपालन में)।
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस मामले के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

सूची I की प्रविष्टि 9 (संघ सूची):

- संसद के पास रक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

सूची III की प्रविष्टि 3 ('समवर्ती सूची'):

- संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या नागरिकों के

- गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।
- ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22(4) :

- जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ या सलाहकार बोर्ड तारीख बढ़ाने का फैसला नहीं करता है तब तक किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
- एक सलाहकार बोर्ड विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट करता है।
- ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है।
- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सलाहकार बोर्ड की राय लिए बिना नजरबंदी की अवधि को तीन से घटाकर दो महीने कर दिया है।
- हालांकि, यह प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए तीन महीने की मूल अवधि जारी है

लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं के रखरखाव से संबंधित कारणों के लिए ऐसे कानून बनाने की शक्तियां हैं।

कानूनी प्रावधान :

- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 151 के तहत निवारक निरोध पुलिस कार्रवाई है जो संदेह के आधार पर संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए बिना गिरफ़्तारी की जा सकती है।
- एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकता है यदि उसे कोई सूचना मिलती है कि ऐसा व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है।

गिरफ्तारी

'गिरफ्तारी' तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अगले 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।

ग्रीन डिपॉजिट

सन्दर्भ:

- हाल ही में आरबीआई ने बैंकों के लिए एनबीएफसी (नई बैंकीकरण और वित्तीय सेवाएं कंपनी) द्वारा हरित जमा की स्वीकृति के लिए एक ढांचा जारी किया है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा, हरित परिवहन, हरित भवन और अन्य पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- कुछ विनियमित संस्थाएं (आरई) पहले से ही हरित गतिविधियों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश कर रही हैं।
- इन संस्थाओं का ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क 1 जून, 2023 से लागू होगा।

ग्रीन डिपॉजिट के बारे में:

- पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में अपने अधिशेष नकदी भंडार का निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट एक सावधि जमा है।
- बाजार में यह नई पेशकश ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और स्थायी निवेश के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता का संकेत देती है।
- हरित बैंकिंग उत्पादों की गति के साथ, एचएसबीसी और एचडीएफसी जैसे कई उधारदाताओं ने कॉरपोरेट्स के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए भारत में ग्रीन डिपॉजिट शुरू किए हैं।

मिनी परीक्षण (Mini Trials)

सन्दर्भ:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि उच्च न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही के निर्वहन या रद्द करने के दौरान "मिनी-ट्रायल" आयोजित नहीं कर सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- न्यायालय ने कहा कि डिस्चार्ज या रद्द करने के चरण में, अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
- अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसी के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर मुकदमे के दौरान आरोपों को साबित करना आवश्यक है।
- न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पूरी आपराधिक

मिनी-परीक्षण क्या हैं?

- लघु परीक्षण वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) का एक रूप है जिसका उपयोग अदालत के बाहर जटिल कानूनी विवादों को हल करने के लिए किया जाता है।
- इनमें परीक्षण का संक्षिप्त और अनौपचारिक संस्करण शामिल होता है जिसमें दोनों पक्ष तटस्थ तृतीय पक्ष या विशेषज्ञों के पैनल के समक्ष अपने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करते हैं।
- मिनी ट्रायल का उपयोग अक्सर वाणिज्यिक और

कार्यवाही को रद्द करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था।

- न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या नहीं, इस पर परीक्षण के समापन पर विचार किया जाना चाहिए और डिस्चार्ज या रद्द करने के चरण पर नहीं।
- यह निर्धारित करने के लिए क्या आवश्यक था कि जांच के दौरान अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई थी या नहीं।

व्यावसायिक विवादों में किया जाता है, जहां शामिल पक्षों के बीच ऐसे संबंध हो सकते हैं जिससे वे अपने कानूनी मुद्दों को हल करते हुए भी अपने व्यावसायिक हितों को बनाए रखना चाहते हैं।

- मिनी-ट्रायल कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, वे विवादों को सुलझाने और एक पूर्ण परीक्षण की अनिश्चितता और खर्च से बचने में एक उपयोगी उपकरण हो सकते हैं।

संक्षिप्त सुर्खियां

अमृत भारत स्टेशन योजना

सन्दर्भ:

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, पूर्वी बेंगलुरु में रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी नया रूप दिया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं:

- केंद्र द्वारा 1275 रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की गई थी।
- अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य बेहतर स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट / एस्केलेटर जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ स्टेशनों का विकास करना है, स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क आदि।
- अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य स्वच्छता, मुफ्त वाई-फाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क आदि के साथ बेहतर स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, प्रतीक्षालय, शौचालय, लिफ्ट / एस्केलेटर जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ स्टेशनों का विकास करना है।
- आगे इस योजना का उद्देश्य रेलवे भवनों में सुधार, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों का प्रावधान, चरणबद्धता और व्यवहार्यता और लंबी अवधि में स्टेशन पर शहर के केंद्रों का निर्माण करना है।
- नोडल मंत्रालय- रेल मंत्रालय।

मोज़ाम्बिक

सन्दर्भ:

- हाल ही में विदेश मंत्री ने मोज़ाम्बिक के मापुटो में वहां की एसेंबली एस्पेरांका बियास के अध्यक्ष के साथ बैठक करके अपनी कार्यक्रमों की शुरुआत की।
- यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा पहली यात्रा है।

मोज़ाम्बिक के बारे में:

- मोज़ाम्बिक दक्षिणपूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा उत्तर में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में मलावी और ज़ाम्बिया, पश्चिम में ज़िम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में इस्वातिनी और दक्षिण अफ्रीका और पूर्व में हिंद महासागर से मिलती है।
- इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी मापुटो है।
- इसकी आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, लेकिन मोज़ाम्बिक के कई लोग शांगान, चिचेवा और मखुवा जैसी देशी भाषाएं भी बोलते हैं।
- देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर आधारित है, जिसमें नकदी फसलें जैसे कपास, काजू और गन्ना प्रमुख निर्यात हैं।
- मोज़ाम्बिक कोयला, प्राकृतिक गैस और कीमती पत्थरों सहित प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है तथा इसने हाल ही में अपने अपतटीय गैस भंडारों को विकसित करना शुरू किया है।

अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानक

सन्दर्भ:

- भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति जारी रखा है।

मुख्य विशेषताएं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा विमान संचालन, उड़ान योग्यता और कार्मिक लाइसेंसिंग के क्षेत्रों में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का ऑडिट करने के बाद भारत को श्रेणी एक का दर्जा प्राप्त हुआ।
- FAA अपने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन (IASA) कार्यक्रम के तहत यह निर्धारित करता है कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करता है या नहीं।
- भारत ने 69.95% के पिछले EI से 85.65% का एक प्रभावी कार्यान्वयन (EI) प्राप्त किया था जिससे इसकी वैश्विक रैंकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- FAA ने भारत की विमानन प्रणाली की प्रभावी सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने

की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए DGCA की सराहना की।

महत्व:

- यह भारतीय एयरलाइन्स को अमेरिका हेतु उड़ानें संचालित करना जारी रखने और अमेरिकी वाहकों के साथ कोडशेयर साझेदारी करने की अनुमति देता है।
- भारत का श्रेणी 1 दृढ़ संकल्प ऐसे समय में आया है जब भारतीय विमानन क्षेत्र उच्च विकास पथ पर है और यह नागरिक उड्डयन प्रणाली के लिए प्रभावी सुरक्षा निरीक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

कांटी वेलुगु कार्यक्रम

सन्दर्भ:

- नियंत्रण योग्य अंधेपन को रोकने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार की पहल, जिसे कांटी वेलुगु कार्यक्रम कहा जाता है, ने आंखों की समस्याओं के लिए एक करोड़ लोगों की जांच करके एक मील का पत्थर हासिल किया है।

मुख्य विशेषताएं:

- इस कार्यक्रम का दूसरा चरण 19 जनवरी को शुरू हुआ जो 15 जून 2023 तक चलेगा।
- यह कार्यक्रम अगस्त 2018 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य में परिहार्य अंधापन के प्रसार को कम करना है।
- कांटी वेलुगु कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा दस लोग राज्य के हर गांव और शहरी वार्ड में आंखों की मुफ्त जांच करते हैं।
- इसकी जांच एक विशेष रूप से डिज़ाइन की गई मोबाइल यूनिट गाड़ी में की जाती है जो अत्याधुनिक नेत्र उपकरणों से सुसज्जित है।
- इस कार्यक्रम में लोगों को नियमित आंखों की जांच और आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं की पहचान और प्रबंधन में भी मदद करता है।

गोंड पेंटिंग

सन्दर्भ:

- हाल ही में, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है।

गोंड पेंटिंग के बारे में

- गोंड पेंटिंग मध्य भारत के गोंड आदिवासी समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कला है।

	• यह गोंड आदिवासी समुदाय की संस्कृति के संरक्षण और संचार के लिए किया जाता है। • गोंड जनजातीय कला में लोक नृत्य, लोक गीत और गोंड पेंटिंग शामिल हैं। • वर्तमान समय के गोंड चित्र दिग्ना और भित्तिचित्र से विकसित हुए हैं। • गोंड घरों की दीवारों और फर्श पर एक पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न पेंट करते हैं। • भित्तिचित्र घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है और इन चित्रों में जानवरों, पौधों और पेड़ों की छवियां शामिल हैं। • महिलाएं अपने घरों की दीवारों और फर्श को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग करती हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare